20012/01/2017-रा.भा.(नीति)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

चौथा तल, एन.डी.सी.सी-2 भवन
जय सिंह रोड, नई दिल्ली - 01
दिनांक : 30 जून 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय : मंत्रालयों/विभागों द्वारा दिये जाने वाले हिंदी विज्ञापनों पर व्यय के संबंध में।

कृपया राजभाषा विभाग के संकल्प सं० 20012/01/2017-रा.भा.(नीति) दिनांक 31.03.2017 का अवलोकन करें, जो संसदीय राजभाषा समिति की सिफ़ारिश के खंड 9 में की गई 117 संस्तुतियों पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश के संबंध में है।

2. संस्तुति सं0 88 मंत्रालयों/विभागों द्वारा विज्ञापनों पर किए जाने वाले व्यय के संबंध में है जिस पर राष्ट्रपति जी के आदेश इस प्रकार हैं -

सं	संस्तुति	राष्ट्रपति जी के आदेश
88	समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार सभी मंत्रालयों/कार्यालयों को विज्ञापन की कुल राशि का न्यूनतम 50 प्रतिशत व्यय हिंदी विज्ञापनों पर करना चाहिए। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अक्टूबर, 2007 से लागू नई विज्ञापन नीति में समिति की उक्त सिफारिश के अनुसार समुचित संशोधन किया जाना चाहिए।	संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन खंड - 8 की सिफ़ारिश सं० 70 पर लिए गए आदेश को अधिक्रमित करते हुए खंड - 9 की सिफ़ारिश सं० 48 एवं 88 पर की गई संस्तुतियां इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है की मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों / उपक्रमों आदि द्वारा जो भी विज्ञापन अंग्रेजी / क्षेत्रीय भाषाओं में दिये जाते हैं, उन्हें हिंदी भाषा में अनिवार्य रूप से दिया जाएगा।

3. अतः केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों / उपक्रमों से अपेक्षित है की विज्ञापन संबंधी उपर्युक्त आदेश का दृढ़तापूर्वक पालन सुनिश्चित किया जाए।

संदीप 30/06/17

(संदीप आर्य)
निदेशक (कार्यान्वयन)

सेवा में,
निदेशक (प्रशासन), सभी केंद्र सरकार के मंत्रालय/विभाग

प्रतिलिपि : वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (एन. आई. सी), कृपया वेबसाइट पर अपलोड करें।